राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)परि/नियम/मु./2011/1717 जयपुर, दिनांकः 01/02/2021

<u>कार्यालय आदेश...1.../2021</u>

सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं चालक लाईसेंस जारी करने में वस्तुनिष्ठ चालन सक्षमता परीक्षण (The test of competence to drive) को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक शुरू किये जा रहे है। इस हेतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर में दिनांक 03.02.2021 से ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक शुरू हो रहा है। **जयपुर नगर–निगम (ग्रेटर एवं हैरिटेज) क्षेत्राधिकार के समस्त आवेदकों का चालन परीक्षण अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर में स्थापित ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक पर ही होगा।** इस हेतु समस्त चालन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्राधिकार के आवेदक, जो अन्य जिलो में आवेदन करते है; का चालन परीक्षण भी अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर में स्थापित ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक पर ही करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक प.7(38)परि/नियम/मु./2011/1718-24 जयपुर, दिनांकः 01/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Phone : 0141-2850611, Fax :0141-2740177, Email : transport@rajasthan.gov.in/ transport.rules@rajasthan.gov.in, Web : www.transport.rajasthan.gov.in